

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2019—आषाढ़ 19, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2019

अधि. क्र. 12एफ 1-42-2019-अठारह-3.—नगरपालिका परिषद् सीधी का कार्यकाल दिनांक 5 जून 2019 को पूर्ण होने के कारण राज्य शासन एतद्वारा निकाय में आवश्यक एवं नियमित कार्यों के सम्पादन हेतु मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 346 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवीन परिषद् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिये कलेक्टर, जिला सीधी को प्रशासक / प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.